IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, June 2024

मानव संसाधन कल्याण एवं कार्मिक प्रबंधन केन्द्रित राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना: विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ.प्रशांत कुमार
सहआचार्य-व्यावसायिक प्रशासन विभाग
राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू (राजस्थान)

शोध सार

प्रस्तुत शोध-पत्र में मानव संसाधन अथवा कार्मिक कल्याण की दृष्टि से राजस्थान सरकार स्वास्थय योजना, प्रारंभ वर्ष 2021 का समग्रता से अवलोकन किया जाकर व्यवहारिक समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र के लिए मुख्यतः द्वितीयक समंको एवं सीमित मात्रा में विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्रारंभिक साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है। शोध अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीजीएचएस सरकारी प्रकाशन, विविध आर्थिक एवं मासिक पत्रिकाओं एवं सरकारी, गैर सरकारी वेबसाइटस पर उपलब्ध सामग्री का समावेश किया गया है। शोधपत्र वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक स्वरूप में लिखा गया है। शोधपत्र का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान सरकार स्वास्थय योजना की कार्य प्रणाली का समग्रता से अध्ययन एवं परिणामों का मूल्यांकन कर कार्यकुशलता में वृद्धि का स्वरूप प्रस्तुत करना है। शोध अध्ययन हेतु द्वितीयक समंको को प्रमुख आधार बनाया गया है। विश्लेषण के आधार पर मानव संसाधन अथवा कार्मिक कल्याण प्रबंधन केन्द्रित राजस्थान सरकार स्वास्थय योजना के वर्तमान स्वरूप एवं कार्यप्रणाली को अधिक व्यवहारिक बनाये जाने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: कार्मिक, बीमा, वित्त, दावा, प्रशासन, अपील, अनुमोदन , निस्तारण, प्राधिकार।

प्रस्तावना

राजस्थान सरकार द्वारा विधायकों, पूर्व विधायकों, राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनर को विभिन्न नियमों, योजनाओं और चिकित्सा बीमा पॉलिसियों के प्रावधानों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती रही है। राजस्थान में राज्य स्वायत्त निकाय / बोर्ड / निगम द्वारा अपने स्वयं के नियमों से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस संबंध में मुख्य नियम/योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, June 2024

1.राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सा सुविधाएँ) नियम, 1964

2.राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य एवं पारिवारिक पेंशनभोगी (चिकित्सा सुविधाएँ) नियम, 2010

3.राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013

4.राजस्थान राज्य पेंशनभोगी चिकित्सा रियायत योजना, 2014

5.राजस्थान मेडिक्लेम नीति

इसके अतिरिक्त , मंत्रीगण, अखिल भारतीय सेवा अधिकारीगण भी निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त कर रहे हैं:

राजस्थान मंत्रीगण (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1961

अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954

राजस्थान राज्य में संचालित सभी सरकारी अस्पताल, अनुमोदित अस्पताल तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले अस्पताल राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मानदंडों तथा नियमों एवं शर्तों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए पात्र है। गम्भीर आपात स्थिति में सक्षम प्राधिकारी से उचित माध्यम से रैफर के पश्चात रेफरल अस्पतालों में उपचार की अनुमति दी जाती है।

इस योजना में निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती है:

1.ओपीडी उपचार,आईपीडी/डे केयर सेवाओं के लिए कैशलेस सुविधा।

2.सरकारी और सूचीबद्ध डायग्नोस्टिक केंद्रों पर जांच

3.परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएं।

राजस्थान सरकार का कार्मिक का मूल वेतन रूपए 64000 से अधिक होने पर अ श्रेणी का डीलक्स वार्ड अधिकृत होता है। मूल वेतन रूपए 36001 से 64000 तक होने पर ब श्रेणी सेमी-डीलक्स वार्ड अधिकृत होता है। मूल वेतन 36000 तक होने पर से श्रेणी में सामान्य वार्ड की सुविधा के लिए अधिकृत होता है।

आरजीएचएस: यह ऑनलाइन और स्वचालित प्रणाली राजस्थान सरकार के जन आधार डेटाबेस से जुड़ी है। राज्य सरकार के आरजीएचएस वेब-पोर्टल पर एचबीईसी (आवेदन और अनुमोदन प्रणाली) द्वारा अस्पताल का पैनल बनता है। ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत केवल अस्पताल स्तर पर पूर्व प्राधिकार प्राप्त अस्पतालों को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली द्वारा दावा निपटान प्रक्रिया आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाती है। आरजीएचएस सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, June 2024

पर आधारित योजना है और इसमें प्रत्येक लाभार्थी का इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर) आरजीएचएस कार्ड धारक के ई-वॉलेट में सुरक्षित रखा जाता है।

योजना लाभार्थी श्रेणी

1.राज्य सरकार के कार्मिक

2.मंत्री

3.राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

4.सेवानिवृत्त आईएएस

5.सेवारत आईएएस

6.राज्य सरकार के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी

7.बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों के सेवारत कर्मचारी जो 01.01.2004 से पहले नियुक्त किए गए थे को संबंधित बोर्ड/निगम आदि की लागू योजना के अनुसार कैशलेस आईपीडी/डे केयर, ओपीडी (20,000 रुपये तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अन्य दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।

•फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।

•प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की भयावह बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय सुविधा।

• चिकित्सा उपचार के लिए की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता।

•एम्बुलेंस शुल्क।

8.बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) के सेवारत कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 को या उसके बाद हुई हो। वर्तमान में राज मेडिक्लेम योजना के अंतर्गत।

•नकद रहित आईपीडी/डे केयर, ओपीडी (20,000 रुपये तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अन्य दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएँ।

•फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का उपचार।

•प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की भयावह बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।

• चिकित्सा उपचार के लिए की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता।

•एम्बुलेंस शुल्क।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, June 2024

9.बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) के पेंशनभोगी, जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 से पहले हुई थी। संबंधित बोर्ड/निगम आदि की लागू योजना के अनुसार। कैशलेस आईपीडी/डे केयर, ओपीडी (20,000 रुपये तक), सीजीएचएस दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अन्य दरें। फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार। गंभीर बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक। चिकित्सा उपचार के लिए की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता।

•एम्बुलेंस शुल्क।

10.बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) के पेंशनभोगी जो 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त हुए थे

• कैशलेस आईपीडी/डे केयर, ओपीडी (20,000 रुपये तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अन्य दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएँ।

• फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।

• प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की भयावह बीमारी से संबंधित अतिरिक्त खर्च।

• लागू टीए नियमों के अनुसार चिकित्सा उपचार के लिए की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता।

• एम्बुलेंस शुल्क।

भयावह बीमारी एवं आरजीएचएस

कोरोनरी धमनी सर्जरी, संवहनी सर्जरी, हॉजकिन रोग, 24 घंटे से अधिक समय तक मूत्र का तीव्र प्रतिधारण, तीव्र मायोकार्डियल रोग, तीव्र न्यूमोनिटिस, तीव्र श्वसन संकट, कैंसर, गुर्दे की विफलता यानी दोनों गुर्दे की विफलता, स्ट्रोक, मल्टीपल स्केलेरोसिस, मेनिनजाइटिस, किडनी, फेफड़े, अग्न्याशय, हृदय, यकृत या अस्थि मज्जा जैसे प्रमुख अंग प्रत्यारोपण, दुर्घटनाएं, प्रसव, ट्यूबल गर्भावस्था और संबंधित जटिलता, स्वाइन फ्लू, डेंगू बुखार, फटा हुआ अपेंडिसाइटिस, अग्नाशयशोथ आदि को गंभीर आपातकाल के मामलों के रूप में कवर किया जा सकता है। शिकायत निवारण प्रकिया के अन्तर्गत योजना अवधि के दौरान या उसके बाद एसआईपीएफ और लाभार्थी, एसआईपीएफ और सूचीबद्ध अस्पतालों तथा लाभार्थी और सूचीबद्ध अस्पताल के बीच योजना के किसी प्रावधान की वैधता, व्याख्या, कार्यान्वयन या कथित उल्लंघन के संबंध में किसी भी विवाद का समाधान करने की दृष्टि से आरजीएचएस हेल्पलाइन नंबर 181 और हेल्पडेस्क द्वारा राजकीय नियमानुसार समाधान किया जाता है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, June 2024

सेवारत कर्मचारियों के लिए: helpd.serving.rghs@rajasthan.gov.in

पेंशनभोगियों के लिए: helpd.pensioner.rghs@rajasthan.gov.in

सामान्य सहायता: helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in

शोध अध्ययन के उद्देश्य:

1. कार्मिक कल्याण की दृष्टि से राजस्थान सरकार स्वास्थय योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ।

2. कार्मिक कल्याण की दृष्टि से राजस्थान सरकार स्वास्थय योजना की व्यवहारिक समस्याओं, चुनौतियों का अध्ययन करना।

3. कार्मिक कल्याण की दृष्टि से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में संरचनात्मक सुधार की व्यूह रचना का आधार प्रस्तुत करना।

4. मानवसंसाधन कल्याण कीदृष्टि से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना कापरीक्षण करना।

साहित्यावलोकन एवं शोध प्रविधि :

डॉ. आर. एल. नौलखा ने अपनी पुस्तक बीमा के तत्व (2021) में कार्मिक कल्याण की दृष्टि से बीमा के स्वरूप को समझाते हुए इसकी उपयोगिता पर बल दिया है। इसी तरह डॉ. आर. एल. नौलखा ने अपनी पुस्तक औधोगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा (2019) में कर्मचारी कल्याण के लिए विभिन्न सुझाव एवं व्यूहरचना प्रदर्शित की है।शर्मा, सुराणा (2018) ने अपनी पुस्तक मानव संसाधन प्रबंध में कर्मचारी कल्याण की दिशा में स्वास्थय सुविधाओं पर बलदिया है। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विभिन्न परिपत्र, वार्षिक प्रतिवेदन एवं बजट प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के आधार पर रूपरेखा निश्चित की गई है। प्रस्तुत शोधपत्र के लिए मुख्यतः द्वितीयक समंको एवं सीमित मात्रा में विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्रारंभिक साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है। शोध अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीजीएचएस सरकारी प्रकाशन, विविध आर्थिक एवं मासिक पत्रिकाओं एवं सरकारी, गैर सरकारी वेबसाइटस पर उपलब्ध सामग्री का समावेश किया गया है। शोधपत्र वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक स्वरूप में लिखा गया है। शोधपत्र का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान सरकार स्वास्थय योजना की कार्य प्रणाली का समग्रता से अध्धयन एवं परिणामों का मूल्यांकन कर कार्यकुशलता में वृद्धि का स्वरूप प्रस्तुत करना है। शोध अध्ययन हेतु द्वितीयक समंको को प्रमुख

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, June 2024

आधार बनाया गया है। कार्मिक कल्याण प्रबंधन केन्द्रित राजस्थान सरकार स्वास्थय योजना के वर्तमान स्वरूप एवं कार्यप्रणाली को अधिक व्यवहारिक बनाये जाने की आवश्यकता है।

मूल आलेख

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में इनडोर चिकित्सा, उपचार व्यय, निर्दिष्ट डेकेयर प्रक्रियाएं, आउटडोर उपचार, जांच और चिकित्सा उपस्थिति और आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धति और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट या निर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य उपचार शामिल हैं। इस योजना में अनिवार्य रूप से मंत्री, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, विधायक और पूर्व विधायक, सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सेवारत सरकारी कर्मचारी (चाहे वे पुरानी या नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हों) और पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी सम्मिलित हैं। यह योजना स्वायत्त निकायों, बोर्डों, निगमों आदि के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी लागू है।

इसमें निर्धारित किए गए लाभार्थियों की श्रेणियों के संबंधित नियमों/योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार सभी चिकित्सा सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है जैसे (i) राजस्थान मंत्री (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1961 (ii) राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 (iii) अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1954 (iv) राजस्थान विधानसभा सदस्य (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1964 (v) राजस्थान विधानसभा पूर्व सदस्य एवं परिवार पेंशनर्स (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 (vi) राजस्थान सिविल सेवाएं (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 2013 (vii) राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, 2014 एवं (viii) राज मेडिक्लेम पॉलिसी। **इस योजना के तहत लाभार्थियों का नामांकन दिनांक 10 अप्रैल, 2021 से शुरू हो गया है।** सभी लाभार्थी श्रेणियों के लिए नामांकन फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जा सकते हैं। इस योजना के अनुसार कार्ड के खो जाने/कार्ड की अनुपलब्धता की स्थिति में विशिष्ट आरजीएचएस कार्ड नंबर एचसीएनपी में इलाज कराने के लिए काम में लिया जा सकता है।

क्रमसंख्या	विवरण	कुल
1	कुलपंजीकृतलाभार्थियोंकीसंख्या	1276461
2	कुलपंजीकृतपरिवारसदस्योंकीसंख्या	3625456
3	राजस्थानमेंकुलसूचीबद्धअस्पतालोंकीसंख्या	1561

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, June 2024

4	राजस्थानकेबाहरकुलसूचीबद्धअस्पतालोंकीसंख्या	39
5	कुलफार्मेसीस्टोरकीसंख्या	4823
6	कुलफार्मेसीदावोंकीसंख्या	22091520
7	कुलआईपीडी/डेकेयरदावोंकीसंख्या	1099444
8	कुलओपीडीदावोंकीसंख्या	11797029

राजस्थानसरकारस्वास्थ्ययोजना (दिनांक 31/05/2024 तक)

स्त्रोत : https://rghs.rajasthan.gov.in

निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं, इमेजिंग केंद्रों और ई-फार्मा स्टोर्स का पैनल निर्माण: जिन अस्पतालों/डायग्नोस्टिक केंद्रों, इमेजिंग केंद्रों के पास एनएबीएच/एनएबीएल मान्यता प्राप्त कर ली गई है और जिन अस्पतालों का सीजीएचएस के तहत पैनल में नाम दर्ज है, वे आरजीएचएस की अधिकृत वेबसाइट पर आरजीएचएस के तहत पैनलीकरण हेतु सीधे आवेदन कर सकते हैं। जिन अस्पतालों और डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं/इमेजिंग केंद्रों के पास एनएबीएच/एनएबीएल मान्यता नहीं है और ऐसे अस्पताल सीजीएचएस के तहत पैनल में नहीं हैं, वे आरजीएचएस द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार **www.rghs.rajasthan.gov.in** पर आवेदन कर सकते हैं। एचबीईसी द्वारा पहले से सूचीबद्ध अस्पताल/लैब को आरजीएचएस वेबसाइट पर पुनः निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ई-फार्मा स्टोर्स के लिए प्रक्रिया और नियम व शर्तें राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (एसआईपीएफ) नोडल विभाग तथा वित्त (बीमा) विभाग प्रशासनिक विभाग है। वित्त (बीमा) विभाग आरजीएचएस के क्रियान्वयन के लिए समय समय पर आवश्यकता आधारित परिचालन दिशा-निर्देशों के साथ-साथ विभिन्न अनुलग्नक, परिपत्र, स्पष्टीकरण आदि जारी करता है। यदि इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान कोई व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है, तो संबंधित अस्पताल/हितधारक मामले को निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को अपनी टिप्पणी सहित भिजवाता है तथा यदि निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग के स्तर पर मामला हल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वित्त (बीमा) विभाग का निर्णय अंतिम माना जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी एसीएस/प्रमुख सचिव (वित्त) होते हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, June 2024

निजी अस्पताल/एचसीएनपी जो आरजीएचएस के तहत पैनल में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आरजीएचएस के तहत नए पैनल के लिए निजी अस्पतालों को एसएसओ आईडी का उपयोग करके प्रोफाइल विवरण भरने के लिए एचसीएनपी अनुरोध फ़ॉर्म पर क्लिक करना होता है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर निर्धारित प्रकिया पूरी करनी होती है। आवेदन संबंधी प्रोफ़ाइल को आरजीएचएस टीम द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर जांच कर आवेदक को पंजीकृत ईमेल आईडी / संपर्क नंबर पर एक अनुमोदन / अस्वीकृति संदेश भेजा जाता है। एक बार स्वीकृति मिल जाने पर आवेदक एसएसओ आईडी का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है और पूर्ण आवेदन पत्र एचसीएनपी-ईएम (हेल्थ केयर) तक पहुंचा सकता है। इसमें 'पूर्वावलोकन' बटन पर क्लिक करके पूरा भरा हुआ आवेदन अपनी संतुष्टि के लिए देखा जा सकता है। निर्धारित आवेदन शुल्क अस्पताल/एचसीएनपी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान आरजीएचएस आवेदन के माध्यम से किया जाता है। अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन प्रस्तावों की जांच अस्पताल लाभ अधिकार प्राप्त समिति (HBEC), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। पैनल में शामिल होने के प्रस्तावों की निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वीकृति/अस्वीकृति स्वचालित प्रणाली पर आधारित एक समयबद्ध ऑनलाइन प्रक्रिया है और अस्पताल को आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय के बारे में सूचित किया जाता है। इसकी अधिसूचना अस्पताल की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाती है। यदि पैनल में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो संबंधित अस्पताल को पंजीकृत एसएसओ लॉगिन आईडी द्वारा आरजीएचएस पोर्टल पर एमओए डाउनलोड करके हस्ताक्षरित एमओए की प्रति आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड करनी होती है और **हार्ड कॉपी निदेशक कार्यालय, राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग, 2-2 बीमा भवन, जयसिंह हाईवे, बनी पार्क, जयपुर-302016** में जमा करनी होती है। सभी सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा अपनी SSO ID का उपयोग करके लॉगिन किया जाता है और RGHS आइकन के माध्यम से RGHS पोर्टल पर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) का उपयोग करके ऑनलाइन दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों की नियमानुसार जाँच करके अंतिम अनुमोदन सहित भुगतान के लिए RGHS की दावा इकाई को अग्रेषित किया जाता है। अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों का परीक्षण करके भुगतान RGHS पैकेज दरों के अनुसार किया जाता है। RGHS एक स्वचालित सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मॉड्यूल है, लाभार्थी वर्ग चिकित्सा सुविधा का लाभ

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, June 2024

उठाने के लिए RGHS वेब-पोर्टल: www.rghs.rajasthan.gov.in पर अपना स्वयं का RGHS ई-कार्ड प्रिंट कर आवश्यकतानुसार काम में ले सकते हैं।

लाभार्थी के रूप में आश्रित परिवार के सदस्यों को जोड़ना/हटाना:

सभी RGHS लाभार्थियों को RGHS वेब-पोर्टल पर SSO लॉगिन आईडी और मॉड्यूल का उपयोग करके आश्रित परिवार के सदस्यों के ऐड-ऑन/हटाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। एकल RGHS कार्ड नंबर द्वारा कार्ड धारक के सभी पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों के पास एकल विशिष्ट आईडी नंबर होता है जिसका प्रयोग किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR) का प्रावधान:

RGHS लाभार्थी को उसकी मेडिकल हिस्ट्री वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए यह इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है।

नकद रहित अस्पताल में भर्ती एवं दवाएं:

RGHS के लाभार्थी राज्य के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में नकद रहित अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। यह सूची RGHS वेब-पोर्टल: www.rghs.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। नकद रहित उपचार के तहत लाभार्थी को चिकित्सा उपचार का खर्च वहन नहीं करना पड़ता है। उपचार लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

कैशलेस सुविधा:

कैशलेश सुविधा केवल सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क प्रदाताओं (HCNP) द्वारा लाभार्थियों को दी जाती है, जिसमें सभी सरकारी और निजी अस्पताल, RGHS के तहत पंजीकृत डायग्नोस्टिक/इमेजिंग केंद्र शामिल हैं, जो निर्धारित CGHS दरों पर काम करते हैं।

कैशलेस ओपीडी दवाइयाँ:

RGHS के लाभार्थियों द्वारा सरकारी CONFED स्टोर्स के साथ-साथ निजी सूचीबद्ध फार्मा स्टोर्स से भी OPD कैशलेस दवाइयाँ प्राप्त की जा सकती हैं। स्टोर्स की सूची RGHS वेब-पोर्टल:

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, June 2024

www.rghs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है। RGHS लाभार्थी अपने पंजीकृत SSO लॉगिन आईडी के माध्यम से OPD प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं, साथ ही जिले और शहर के स्थान के अनुसार फार्मा स्टोर्स की सूची देख सकते हैं।

व्यापक चिकित्सा सुविधा:

RGHS के अन्तर्गत उपचार का एक व्यापक पैकेज जिसमें चिकित्सा आपातकाल के पूरे चक्र के साथ-साथ OPD/IPD/डे केयर, प्रसूति और बाल देखभाल सुविधा मिलती है। इसमें सभी पैकेज और दरें सीजीएचएस दिशानिर्देशों के अनुसार तय होती है और लाभार्थी को अस्पताल द्वारा निर्धारित निजी दरों का भुगतान नहीं करना होता है।

आरजीएचएस कार्ड ट्रैकर सिस्टम:

सभी आरजीएचएस लाभार्थियों अपने पंजीकृत एसएसओ लॉगिन आईडी पर आरजीएचएस कार्ड ट्रैकर सुविधा काम में ले सकते हैं, जिसमें उनकी लागू श्रेणी के अनुसार ओपीडी और आईपीडी कार्ड सीमा प्रदर्शित करने की सुविधा उपलब्ध है।

पेंशनभोगियों के लिए सुविधा:

आरजीएचएस लाभार्थी जो पेंशनभोगी श्रेणी (आरसीएस (पेंशन) नियम 1996 के तहत) के अंतर्गत हैं, वे ऑनलाइन ओपीडी संवर्द्धन की सुविधा काम में ले सकते हैं, जो एक विकसित, आसान और परेशानी मुक्त प्रणाली है।

एसएबी (सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी) के लिए सुविधा:

आरजीएचएस लाभार्थियों- एसएबी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये (20,000 रुपये ओपीडी सहित) की बीमा राशि होती है, साथ ही योजना के तहत निर्दिष्ट किसी भी भयावह बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी नियमानुसार दी जाती है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, June 2024

निष्कर्ष

ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य सेवा के लिए आरजीएचएस में सरल पंजीकरण, हेल्थकेयर नेटवर्क प्रदाता (एचसीएनपी) पैनल निर्माण, लाभार्थी पहचान चयन (बीआईएस), उपचार के लिए निर्धारित आरजीएचएस पैकेज का चयन, लेन-देन प्रबंधन, विकसित दावा निपटान और शिकायत निवारण तंत्र हेतु स्वचालित आईटी सक्षम सुविधा है, जो कि कागज रहित प्रणाली है। इसमें प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम दस्तावेज लगाने होते हैं और आरजीएचएस लाभार्थी को अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए परेशानी मुक्त प्रवेश, उपचार और छुट्टी प्रदान की जाती है। संपूर्ण निजी स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क प्रदाता (एचसीएनपी) आरजीएचएस वेब पोर्टल के माध्यम से आरजीएचएस पैनल के लिए आवेदन हेतु ऑनलाइन पैनल मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ अधिकार प्राप्त समिति (एचबीईसी) द्वारा एचसीएनपी आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए चयन प्रक्रिया भी ऑनलाइन और स्वचालित मॉड्यूल पर काम करती है। निजी फार्मा स्टोर का पैनल भी ऑनलाइन पैनल मॉड्यूल के माध्यम से पंजीकरण होता है।राजस्थान राज्य के बाहर कुछ मल्टी-स्पेशलिटी/स्पेशलिटी निजी अस्पताल भी इस योजना के तहत पंजीकृत हैं, जिनसे लाभार्थी राजस्थान के बाहर भी आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पात्रतानुसार लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए राजस्थान में बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों और फार्मा स्टोर को इस योजना के तहत पैनलबद्ध किया गया है। यह चिकित्सा आपातकाल के समय रोगियों के लिए अति महत्वपूर्ण है।

सभी आरजीएचएस लाभार्थी चिकित्सा सुविधाओं में जांच और परीक्षण के लिए विशेष रूप से डायग्नोस्टिक सेंटर/इमेजिंग सेंटर की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।कुछ अस्पताल/चिकित्सा उपचार और गैर-भुगतान योग्य वस्तुएँ हैं जो योजना में शामिल नहीं हैं और दावों में शामिल नहीं हैं। ये शर्तें और विशेषताएँ CGHS दिशा-निर्देशों में सूचीबद्ध है। ऐसे प्रकरणों का निस्तारण सीजीएचएस नियमों से किया जाता है। इस योजना का दुरूपयोग करने की स्थिति में जैसे गलत सेवा श्रेणी में पंजीकरण करके अथवा आश्रित परिवार को नियम विरुद्ध योजना अंतर्गत कार्ड में सम्मिलित करने अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अपना कार्ड काम में लेने देने पर सेवारत कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम , 1958 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही की जाती है और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाता है।कर्मचारियों के स्तर पर ईमानदारी का अभाव और योजना के दुरूपयोग के मामले

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, June 2024

सामने आए हैं। इसी तरह अस्पतालों द्वारा भी दावों को प्रस्तुत करने में नियमों की अवहेलना के मामले सामने आए हैं। इस संबंध में कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

संदर्भ स्त्रोत

[1]. https://rghs.rajasthan.gov.in/RGHS/home/
[2]. https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/cms/
[3]. https://hi.m.wikipedia.org/wiki/
[4]. https://www.medipulse.in/hi/insurance/rajasthan-government-health-scheme
[5]. https://www.rajyadesh.com/rajasthan-government-health-scheme-rghs/
[6]. https://www.aajtak.in/business/news/story/rajasthan-mukhyamantri-chiranjeevi-swasthya-bima-yojana-benefits-and-policy-details-tuta-1723182-2023-06-26
[7]. https://www.prabhatkhabar.com/business/free-treatment-in-pvt-hospital-get-benefit-of-rs-25-lakh-know-what-is-chiranjeevi-health-insurance-scheme-of-rajasthan-govt-amh
[8]. https://rajasthan.ndtv.in/utility-news/rajasthan-mukhyamantri-chiranjivi-swasthaya-bima-yojana-know-details-here-4193456/
[9]. https://rajteachers.net/rajasthan-government-health-scheme
[10]. https://www.shabdsarita.com/rghs/
[11]. https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/barmer/jaisalmer/news/state-government-health-scheme-registration-required-by-october-31-129023745.html
[12]. https://www.patrika.com/jaipur-news/rghs-rajasthan-government-health-scheme-6813491
[13]. https://shalasugam.com/rajasthan-government-health-scheme/
[14]. https://services.india.gov.in/service/detail/
[15]. https://finance.rajasthan.gov.in/website/
[16]. https://dipr.rajasthan.gov.in/home
[17]. https://rajadvt.rajasthan.gov.in/#/
[18]. https://irdai.gov.in/ebooks
[19]. डॉ. आर. एल. नौलखा , बीमा के तत्व, रमेशबुकडिपो, जयपुर संस्करण वर्ष 2020
[20]. शर्मा, सुराणा, मानवसंसाधन प्रबंध, रमेश बुक डिपो, जयपुर संस्करण वर्ष 2019